

हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड की

लाभांश वितरण नीति

[सेबी (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम,

2015 के विनियम 43ए के अनुसार]

(22 जनवरी, 2025 से प्रभावी)

I. पृष्ठभूमि

सेबी (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियमन, 2015 के विनियमन 43ए के अनुसार, बाजार पूंजीकरण के आधार पर शीर्ष एक हजार सूचीबद्ध संस्थाएँ लाभांश वितरण नीति तैयार करेंगी, जिसका खुलासा सूचीबद्ध संस्था की वेबसाइट पर किया जाएगा और उनकी वार्षिक रिपोर्ट में एक वेब-लिंक भी प्रदान किया जाएगा। विनियमन में आगे प्रावधान किया गया है कि लाभांश वितरण नीति में निम्नलिखित पैरामीटर शामिल होंगे:

क) वे परिस्थितियाँ जिनके अंतर्गत सूचीबद्ध संस्थाओं के शेयरधारक लाभांश की अपेक्षा कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं;

ख) वित्तीय मापदंड जिन पर लाभांश घोषित करते समय विचार किया जाएगा;

ग) आंतरिक और बाह्य कारक जिन पर लाभांश घोषित करने के लिए विचार किया जाएगा;

घ) प्रतिधारित आय का उपयोग किस प्रकार किया जाएगा, इस संबंध में नीति; तथा

ड) विभिन्न श्रेणियों के शेयरों के संबंध में अपनाए जाने वाले मापदंड।

विनियमन में यह भी प्रावधान है कि यदि सूचीबद्ध इकाई उपरोक्त खंड (क) से (ड) के अतिरिक्त मापदंडों के आधार पर लाभांश घोषित करने का प्रस्ताव करती है या ऐसे अतिरिक्त मापदंडों या किसी भी पैरामीटर में निहित लाभांश वितरण नीति को बदलने का प्रस्ताव करती है, तो उसे अपने वार्षिक रिपोर्ट और अपनी वेबसाइट पर इसके औचित्य के साथ ऐसे परिवर्तनों का खुलासा करना होगा।

हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कोर्पोरेशन लिमिटेड (हडको) के इक्विटी शेयर 19 मई, 2017 को नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड (एनएसई) और बीएसई लिमिटेड में सूचीबद्ध हुए। कंपनी ने सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 के विनियम 43ए के अनुपालन में लाभांश वितरण नीति तैयार की है।

II. उद्देश्य

इस नीति का उद्देश्य लाभ, भविष्य की विकास योजनाओं और जीविका से तत्काल भुगतान की आवश्यकता को संतुलित करने के बाद नियमित लाभांश भुगतान के माध्यम से कंपनी और उसके शेयरधारकों के मूल्यों में वृद्धि करना है।

III. नीति रूपरेखा

नीति को कंपनी अधिनियम, 2013, सेबी विनियमों, निवेश और लोक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग (डीआईपीएएम) द्वारा जारी केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के पूंजी पुनर्गठन पर दिशा-निदेशों, वित्त मंत्रालय/कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय द्वारा जारी दिशा-निदेशों, आरबीआई के निदेशों/दिशा-निदेशों और कंपनी पर लागू सीमा तक अन्य दिशा-निदेशों के प्रावधानों के अनुरूप तैयार किया गया है। इन प्रावधानों में कोई भी संशोधन जो बाद में हो स्वतः ही, इस नीति पर लागू होगा। यह नीति विभिन्न प्रासंगिक कारकों पर विचार करने के बाद लाभांश की घोषणा/सिफारिश के बारे में बोर्ड द्वारा लिए गए निर्णय का विकल्प नहीं है।

IV. लाभांश

कंपनी अपने शेयरधारकों को कंपनी अधिनियम, 2013 में निहित प्रावधानों और उसके तहत बनाए गए नियमों के अनुसार प्राप्त लाभ में से लाभांश/अंतरिम लाभांश घोषित कर सकती है।

कंपनी का निदेशक मंडल वित्तीय वर्ष के दौरान अंतरिम लाभांश घोषित कर सकता है। कंपनी वार्षिक सामान्य बैठक में वार्षिक वित्तीय विवरण तैयार करने के बाद, वित्तीय वर्ष में केवल एक बार अंतिम लाभांश घोषित कर सकती है। यदि कंपनी द्वारा कोई अंतिम लाभांश घोषित नहीं किया जाता है, तो वर्ष के दौरान भुगतान किया गया अंतरिम लाभांश, यदि कोई हो, वार्षिक सामान्य बैठक में अंतिम लाभांश माना जाएगा।

V. परिस्थितियाँ जिनके अंतर्गत कंपनी के शेयरधारक लाभांश की उम्मीद कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं

लाभांश भुगतान के बारे में विनिश्चय एक महत्वपूर्ण निर्णय है क्योंकि यह कंपनी के शेयरधारकों के बीच वितरित किए जाने वाले लाभ की राशि और व्यवसाय में बनाए रखने के लिए लाभ की राशि निर्धारित करता है। यह निर्णय भविष्य के विकास का समर्थन करने के लिए एक स्वस्थ पूंजी पर्याप्तता अनुपात बनाए रखने के लिए लाभांश के माध्यम से शेयरधारकों को उचित रूप से प्रतिफल देने और लाभ को बनाए रखने के दोहरे उद्देश्यों को संतुलित करने का प्रयास करता है। कंपनी अपने शेयरधारकों को

लगातार लाभांश का भुगतान कर रही है और यह उम्मीद की जा सकती है कि भविष्य में भी यह घोषणा जारी रहेगी, जब तक कि कंपनी को अपर्याप्त लाभ या न्यूनतम पूंजी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त पूंजी की अनुपलब्धता या किसी भी आंतरिक या बाहरी कारकों के कारण लाभांश घोषित करने से रोका न जाए।

VI. लाभांश की संस्तुति/घोषणा के लिए बोर्ड द्वारा विचार किए जाने वाले आंतरिक और बाह्य कारक/वित्तीय पैरामीटर

क) आंतरिक कारक

(i) वर्ष के दौरान अर्जित लाभ:

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 123 के अनुसार, किसी कंपनी द्वारा किसी भी वित्तीय वर्ष के लिए उस वर्ष के लाभ या अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार मूल्यहास के प्रावधान के बाद कंपनी के किसी पिछले वित्तीय वर्ष/वर्षों के लाभ में से लाभांश घोषित या भुगतान नहीं किया जाएगा।

(ii) जोखिम-भारित संपत्ति अनुपात के लिए पूंजी:

हडको, एक गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी-इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी होने के नाते, भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा समय-समय पर जारी दिशानिदेशों के अनुसार एक निश्चित स्तर पर जोखिम-भारित संपत्ति अनुपात (सीआरएआर) को बनाए रखना आवश्यक है। तदनुसार, लाभांश घोषित करते समय सीआरएआर के लिए अपेक्षित आंकड़े को भी ध्यान में रखा जाता है ताकि यह निर्धारित आंकड़े का उल्लंघन न करे।

(iii) शुद्ध एनपीए अनुपात:

लाभांश के भुगतान पर विचार करते समय शुद्ध एनपीए अनुपात, समय-समय पर संशोधित भारतीय रिज़र्व बैंक (गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी - स्केल आधारित विनियमन) दिशानिदेश, 2023 के अनुसार निर्धारित प्रतिशत होगा।

(iv) कर उपरांत लाभ और शुद्ध कारोबार :

भारत सरकार के डीआईपीएम द्वारा जारी मौजूदा दिशा-निदेशों के अनुसार, प्रत्येक सीपीएसई को कर उपरांत लाभ (पीएटी) का न्यूनतम 30% या शुद्ध कारोबार का 4%, जो भी अधिक हो, का भुगतान करना होगा, जो मौजूदा कानूनी प्रावधानों के तहत स्वीकार्य अधिकतम लाभांश के अधीन होगा। इसके अलावा, एनबीएफसी जैसे वित्तीय क्षेत्र के सीपीएसई किसी भी मौजूदा कानूनी प्रावधानों के अंतर्गत सीमा के अधीन पीएटी के न्यूनतम 30% का वार्षिक लाभांश दे सकते हैं। एक सरकारी कंपनी होने के नाते, हडको को इन दिशा-निदेशों या समय-समय पर जारी किए जाने वाले किसी भी संशोधन जो बाद में हो उसका अनुपालन करना भी आवश्यक है।

उपरोक्त के अलावा, कंपनी विभिन्न अन्य वित्तीय मापदंडों पर भी विचार कर सकती है, जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित शामिल हो सकते हैं:

- 1) वित्तीय वर्ष के दौरान कंपनी द्वारा अर्जित शुद्ध लाभ;
- 2) मौजूदा उधार, आगे उधार लेने की क्षमता और उधार की लागत;
- 3) लाभांश कर दर और व्यय सहित लाभ पर कर;
- 4) वैधानिक/अन्य रिजर्व में स्थानांतरण और भविष्य की देनदारियों को पूरा करने के लिए बनाए गए प्रावधान;
- 5) उचित उत्तोलन के साथ पूंजीगत व्यय की आवश्यकताएं;
- 6) नकद भंडार और शुद्ध संपत्ति;
- 7) गैर-निष्पादित परिसंपत्तियों (एनपीए) के वर्गीकरण और प्रावधान में विचलन पर आरबीआई के पर्यवेक्षी निष्कर्ष;
- 8) वित्तीय विवरणों के लिए लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट में योग्यताएं;

- 9) कंपनी की दीर्घकालिक विकास योजनाएं; और
- 10) कोई अन्य पैरामीटर, जिसे बोर्ड उचित समझे।

ख) बाह्य कारक

(i) आर्थिक वातावरण:

अनिश्चितता या मंदी की आर्थिक और व्यावसायिक स्थितियों के मामले में, कंपनी अर्थव्यवस्था में इन अनिश्चितताओं/मंदी के रुझानों को पूरा करने के लिए रिजर्व बनाने के लिए अपने लाभ का हिस्सा रख सकती है।

(ii) बाजार की स्थिति/सरकारी नीतियाँ:

लाभांश की संस्तुति करते समय कोष की उपलब्धता और उसके उधार, कोष की लागत, कराधान प्रावधानों, सरकारी नीतियों और उद्योग विशेष के नियमों और अन्य नियामक प्रावधानों आदि के संबंध में बाजार की स्थितियों पर विचार किया जाना चाहिए।

(iii) वैधानिक प्रावधान और दिशानिदेश:

- एनबीएफसी होने के नाते कंपनी को आरबीआई के मास्टर निदेश- भारतीय रिजर्व बैंक (गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी - स्केल आधारित विनियमन) निदेश, 2023, समय-समय पर संशोधित, का पालन करना आवश्यक है।
 - कंपनी लाभांश की घोषणा के संबंध में कंपनी अधिनियम, 2013 द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों को ध्यान में रखेगी। इसके अलावा हडको, एक सरकारी कंपनी होने के नाते, यह लाभांश घोषणा के संबंध में डीआईपीएम या किसी अन्य सरकारी प्राधिकरण द्वारा समय-समय पर जारी किए गए दिशानिदेशों पर भी विचार करेगी।
 - कंपनी भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईसी के प्रावधानों का अनुपालन करेगी।
 - कंपनी रिजर्व बैंक द्वारा जारी अन्य प्रचलित विनियमनों/दिशानिर्देशों का अनुपालन करेगी।
- कोई अन्य कारक जिसे बोर्ड द्वारा उचित माना जा सकता है।

VII. प्रतिधारित आय का उपयोग

प्रतिधारित आय का उपयोग कंपनी के उद्देश्यों के अनुरूप किया जाएगा, जैसा कि कंपनी के एसोसिएशन के ज्ञापन में उल्लेख किया गया है, जिससे कंपनी के व्यवसाय और संचालन के विकास में योगदान मिलेगा।

VIII. शेयरों की विभिन्न श्रेणियों के संबंध में अपनाए जाने वाले मापदंड

यह नीति लाभांश की संस्तुति के लिए बोर्ड को मार्गदर्शक सिद्धांत प्रदान करेगी, जो कि प्रत्येक वर्ष ऊपर उल्लिखित सभी प्रासंगिक परिस्थितियों या बोर्ड द्वारा प्रासंगिक रूप में तय किए गए अन्य कारकों को ध्यान में रखने के बाद किया जाएगा। हालांकि, इस नीति के तत्वों के अतिरिक्त मापदंडों के आधार पर लाभांश की घोषणा या कंपनी के हित में नीति के किसी भी तत्व में संशोधन के परिणामस्वरूप, वार्षिक रिपोर्ट में और साथ ही कंपनी की वेबसाइट पर प्रकट किया जाएगा।

हडको के पास वर्तमान में केवल एक श्रेणी के शेयर हैं, यानी इक्विटी शेयर। जब भी यह किसी अन्य श्रेणी के शेयर जारी करने का प्रस्ताव करता है, तो नीति को उसके अनुसार संशोधित किया जाएगा।

IX. रिपोर्टिंग

कंपनी भारतीय रिजर्व बैंक (गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी - स्केल आधारित विनियमन) निदेश, 2023 के अनुलग्नक IX के अन्तर्गत निर्धारित प्रोफॉर्मा के अनुसार लेखा वर्ष के दौरान घोषित लाभांश का विवरण रिपोर्ट करेगी, जिसे समय-समय पर संशोधित किया जाता है।

X. परिवर्तन/संशोधन

अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक को इस नीति में ऐसे परिवर्तन करने के लिए अधिकृत किया जाता है, जिन्हें उचित माना जाता है, हालांकि, इस शर्त के अधीन कि ऐसे परिवर्तन विनियमन और अन्य लागू कानूनों के प्रावधानों के अनुरूप होंगे।
